

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 03 अक्टूबर, 2016

विषय:- उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा दिनांक 27.09.2016 से दिनांक 26.10.2016 तक की हड़ताल की अवधि में कार्य से अनुपस्थित कर्मियों की अनुपस्थिति अवधि को उपार्जित अवकाश से समायोजित करने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत होंगे कि उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा दिनांक 27.09.2016 से दिनांक 26.10.2016 तक हड़ताल की गयी थी। शासन द्वारा इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इस हड़ताल की अवधि में अनुपस्थित कर्मियों की अनुपस्थिति को उनके अवकाश खाते में देय उपार्जित अवकाश की अवधि से समायोजित करते हुए उतनी अवधि का आवकाश वेतन उन्हें प्रदान किया जाय। यदि किसी कर्मचारी के खाते में अवकाश शेष नहीं है, तो शेष अवधि का वेतन, भविष्य में अर्जित होने वाले उपार्जित अवकाश से समायोजित करते हुए अग्रिम के रूप में प्रदान कर दिया जाये। संगत अवकाश नियमों को इस विशिष्ट प्रकरण हेतु शिथिल माना जायेगा तथा हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान नहीं माना जायेगा।

2. इस मध्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में यदि उपार्जित अवकाश शेष नहीं है तो उनके प्रकरण पृथक रूप से शासन को संदर्भित किए जायें।
3. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हड़ताल में शामिल कर्मियों के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव

संख्या-8-ई.एम./2000-टी.सी.-1(1)-का-4-2016, तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

आज्ञा से,

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव